न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–3, अयोध्या।

जमानत प्रार्थना पत्र सं.–603/2026
Computer Registration No– 1264/2026
C.N.R. No. UPFZ0–1003641–2026

1. **अजय** उम्र करीब 26 वर्ष पुत्र कालीचरन निवासी ग्राम सरैया, थाना गोशाईगंज, जनपद अयोध्या .....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

राज्य .....विपक्षी

मु.अ.सं.–147/2025
धारा– 118(1), 109(1) बी.एन.एस.
थाना– गोशाईगंज
जिला अयोध्या।

जमानत आदेश

1. प्रार्थी/अभियुक्त **अजय** द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 147/2025, अन्तर्गत धारा 118(1), 109(1) बी.एन.एस., थाना गोशाईगंज, जिला अयोध्या के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके अतिरिक्त कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा किसी भी न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किा गया है, न ही विचाराधीन है और न ही निर्णीत हुआ है। प्रार्थी बेकसूर है प्रार्थी को मुकदमा उपरोक्त में बिल्कुल गलत व झूंठा फंसाया गया है। सत्यता यह है कि प्रार्थी नाई का काम करके अपनी रोजी रोटी चलाता था और कथित घटना दिनांक 01.08.2025 को शाम को प्रार्थी जब वापस घर आया तो पारिवारिक बातों को लेकर प्रार्थी की अपने सगे भाई धर्मेन्द्र से कुछ कहासुनी होने लगी और कहासुनी बढ़ने पर दोनो लोगो की आपस मे पकड़ा पकडी की नौबत आ गई जिस पर प्रार्थी के पिता व घर के अन्य सदस्यों ने दोनो लोगो को छुड़ाकर अलग अलग किया। प्रार्थी के भाई को प्रार्थी से अलग करने पर उसे कुछ चोटें आना दिखाई दी जो प्रार्थी के जेब मे रखे नाई के काम के सामान जैसे कैंची, ब्लेड आदि से लग गई होगी। प्रार्थी ने जानबूझ कर अपने सगे भाई धर्मेन्द्र को जान से मार डालने की नियत से कत्तई चाकू से न तो कोई प्रहार किया था और न ही जान से मार डालने की नियत से कोई झगड़ा झंझट ही हुआ था बल्कि मात्र मामूली कहासुनी से आपस मे पकड़ी पकड़ान हो जाने के कारण प्रार्थी की जेब में रखे ब्लेड या कैंची से धर्मेन्द्र को चोट आ गई होगी। प्रार्थी गरीब मजदूर पेशा व्यक्ति है और 10 माह से ज्यादा दिनांक 02.08.2025 से लगातार मण्डल कारागार अयोध्या में निरूद्ध है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नही है।

3. वादी मुकदमा कालीचरन द्वारा थानाध्यक्ष गोशाईगंज को दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 147/2025 दिनांक 02.08.2025 को समय 00.07 बजे पंजीकृत किया गया। तहरीर के अनुसार आज दिनांक 01.08.2025 को समय लगभग 8 बजे रात्री मे मेरा बड़ा लड़का अजय ने मेरे छोटे लड़के धर्मेन्द्र को पैसे के लेन देन को लेकर चाकू से जान से मारने की नियत से गले में तथा सीने पर एवं दाहिने पैर मे मार दिया। जिससे मेरा लड़का मरणासन हो गया एम्बुलेंस बुलाकर सी.एच.सी. गोशाईगंज इलाज हेतु लेकर आये जहां पर धर्मेन्द्र की हालत नाजुक होने के कारण तुरन्त दर्शननगर मेडिकल कालेज रेफर कर दी। मेरा लड़का धर्मेन्द्र जीवन एवं मृत्यु से दर्शननगर मेडिकल कालेज मे संघर्ष कर रहा है मेरा बड़ा लड़का जब जाना कि धर्मेन्द्र की मृत्यु हो गयी है तो उसने अपने को बचाने के लिए स्वयं ही ब्लेट से बाये हाथ में काट लिया है। मेरे लड़के का इलाज दर्शननगर में चल रहा है।

Digitally signed by JANARDAN PRASAD YADAV
Date: 2026.06.30 16:47:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

4. प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि घटना दिनांक 01.08.2025 की कही जाती है। चोटहिल प्रार्थी का भाई है और स्वंय समक्ष न्यायालय उपस्थित है उसके द्वारा आधार कार्ड की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति प्रस्तुत की गई है। वादी मुकदमा अभियुक्त का पिता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखी गई है जिस पर वादी ने सिर्फ हस्ताक्षर किये हैं। मेडिकल रिपोर्ट में किसी हैवी आब्जेक्ट से चोटों का आना अंकित है। घटना में अभियुक्त व चोटहिल दोनों को चोटें आई हैं। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी 02.08.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए।

5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए कथन किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त द्वारा चाकू से मारे जाने की बात कही गई है। अभियुक्त की निशादेही पर चाकू बरामद किया गया है। जहां तक चोटहिल के समक्ष न्यायालय उपस्थित होकर आधार कार्ड प्रस्तुत करने का प्रश्न है इसका अन्य कोई प्रमाण नहीं है कि पीड़ित ही न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

6. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से दर्शित हो रहा है कि आवेदक/अभियुक्त पर वादी मुकदमा के लड़के पर जान से मारने की नियत से हमला किये जाने का आरोप है। चोटहिल धर्मेन्द्र कुमार समक्ष न्यायालय उपस्थित है तथा अपने आधार कार्ड की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति प्रस्तुत किया है। चोटहिल द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र के विरूद्ध अनापत्ति प्रस्तुत की गई है। घटना में अभियुक्त व चोटहिल दोनों को चोटें आई हैं। अभियुक्त को एक चोट आना कहा गया है। चोटहिल धर्मेन्द्र कुमार सिंह को निम्न चोटें आई है

चोट संख्या 1– Incised wound present on left lateral side of neck just below the angle of mandle of size approx 10cm × 2.5 cm × muscle deep, margin are clean cut, regular margins, horizontaly oriental bleeding present.

चोट संख्या 2– Incised wound present on post aspect of the right lower leg approx 10 cm above right ankle joint of size approx 6 cm × 2 cm × muscles deep, margin are sharp, regular, well define margin, bleeding present.

अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त जिला कारागार मे निरूद्ध है। विवेचना पूर्ण हो चुकी है। आरोप पत्र समक्ष न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **अजय** द्वारा मु.अ.सं.– 147/2025, अन्तर्गत धारा 118(1), 109(1) बी.एन.एस., थाना गोशाईगंज, जिला अयोध्या में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपराध उपरोक्त में रूपये 50000 (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं समान धनराशि के दो – दो प्रतिभूगण सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि के अधीन प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

(जनार्दन प्रसाद यादव)
J.O. CODE– UP 6431
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं.–3, अयोध्या

दिनांक–30.06.2026